उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ
लखनऊः दिनांक 22.01.2025
कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण लाइसेन्स रखने वाली वितरण कम्पनियों के निजीकरण के सम्बन्ध में निर्गत Standard Bidding Document में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 270/चौबीस.ऊ0नि0नि0प्र0/2024 दिनांक 05.12.2024 द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत आने वाले डिस्काम्स में पब्लिक प्राइवेट पाटनरशिप पी०पी०पी० को बढ़ावा देने पर विचार करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 08-चौबीस ऊ0नि0नि0प्र0/2003 दिनांक 16.01.2004 द्वारा गठित इनर्जी टास्क फोर्स को एम्पावर्ड कमेटी माने जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2.कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.12.2024 द्वारा गठित इम्पावर्ड कमेटी के दायित्व निम्नवत् होगेंः.

1. विद्युत वितरण निगमों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी०पी०पी०), निजी सहभागिता / निजीकरण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण ।
2. ट्रान्सफर स्कीम /नीति निर्धारण पर समयबद्ध कार्यवाही।
3. बिड डाक्यूमेट पर अनुमोदन / एस०बी०डी० में परिवर्तन ।
4. बिड आउटकम की प्रक्रिया का अनुश्रवण ।
5. अन्य कोई ऐसे बिन्दु पर निर्णय लेगीए जो विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण हेतु आवश्यक हो।
6. विद्युत नियामक आयोग को विद्युत सुधार के सम्बन्ध में यथावश्यक निर्देश निर्गत किया जाना।
7. इम्पावर्ड कमेटी द्वारा विद्युत वितरण निगमों में पी०पी०पी०, निजी सहभागिता निजीकरण के उपरोक्त समस्त प्रस्तावों हेतु यथावश्यकता मा० मंत्रि.परिषद के लिए संस्तुति की जायेगी।
8. अन्य कोई विषय जो इनर्जी टास्क फोर्स / इम्पावर्ड कमेटी आवश्यक समझें।

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1. सचिव, विद्युत मंत्रालयए भारत सरकारए नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग नियोजन विभाग/औद्योगिक विभाग सिचाई विभाग पर्यावरण विभाग न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
3. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
4.अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
नरेन्द्र भूषण
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।